राजस्थान सरकार,
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.3(55)नविवि/3/2002 पार्ट जयपुर, दिनांक: 17 NOV 2011

आदेश

इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 19.4.2011 द्वारा राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक, चैरीटेबल एवं सामाजिक संस्थओं को रियायती दर पर भूमि आवंटन के संबंध में जारी नीति की पालना सुनिश्चित करने के संबंध में निम्नलिखित बिन्दुओं पर भी आवश्यक रूप से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें :–

(i) ऐसी चिकित्सा संस्थाओं जिनको भूमि आवंटित की गयी है के बाहर सहजदृश्य स्थान पर एक बोर्ड लगाया जावे जिसमें उनके द्वारा बीपीएल कार्डधारियों को क्या–क्या सुविधायें निःशुल्क उपलब्ध करवायी जाती है का स्पष्ट उल्लेख किया जावे। निःशुल्क/रियायती दर पर आवंटित जमीन एवं आवंटन वर्ष का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। बोर्ड में यह भी स्पष्ट उल्लेख किया जावे कि चिकित्सालय द्वारा निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नही करवाने की स्थिति में मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कलक्टर व परियोजना निदेशक मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष को सूचित किया जावे। संबंधितों के दूरभाष नम्बरों का भी उसमें अंकन किया जावे।

(ii) वर्ष 2001 के पहले जिन चिकित्सालयों को निःशुल्क/रियायती दर पर भूमि आवंटित की गई है उन चिकित्सालयों से निगोशियेशन कर बीपीएल मरीजों का निःशुल्क ईलाज करवाने की कार्यवाही की जावें क्यों कि उन चिकित्सालयों को करोडों रू. की जमीन निःशुल्क/रियायती दर पर दी गई है। यदि कमजोर वर्ग तथा बीपीएल मरीजों के निःशुल्क/रियायती दर से ईलाज हेतु लीजडीड, भूमि आवंटन इत्यादि में कोई शर्त नहीं रखी गयी हो तब भी गरीब/कमजोर वर्ग के लोगो को निःशुल्क ईलाज उपलब्ध कराने हेतु कार्य योजना तैयार की जाये।

(iii) स्थानीय निकायों द्वारा जिन संस्थाओं को निःशुल्क/रियायती दर पर भूमि का आवंटन किया गया हे उसकी सूचना भी निम्नांकित प्रपत्र में प्राप्त की जावे।

क्र.सं.	विभाग	आवंटित भूमि का विवरण	वर्तमान में अस्पताल/ नर्सिग होम चालू है या नहीं ?	आवंटन शर्तो की पालना की स्थिति	शर्तो के उल्लंघन पर की गई कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4	5	6

(iv) जिन संस्थाओं को निःशुल्क/रियायती दर पर भूमि आवंटित की जाती है उसके संबंध में यह देखा जावे कि क्या संस्था द्वारा नियमों की पालना की जा रही है। यदि संस्था द्वारा नियमों की पालना नहीं की जा रही है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। संस्था द्वारा समय पर निर्माण कार्य किया जावे। यह सुनिश्चित करने का दायित्व आवंटन करने वाली संस्था का होगा। यदि निर्धारित अवधि में निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है तो आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही की जावे।

(v) मरीजों को निःशुल्क/रियायती दर पर चिकित्सा सुविधा का लाभ दिया जा रहा है कि अनुपालना चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा सुनिश्चित की जानी है। भूमि आवंटन की प्रति भविष्य में चिकित्सा विभाग को देते हुए संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दी जावे। जिसमें भवन निर्माण की समयावधि का भी उल्लेख किया जावे।

(vi) आपके क्षेत्र की ऐसी निजी संस्थाऐं जिन्हें रियायती दरों पर भूमि आवंटित की गई है, की सूची एवं आवंटन शर्ते चिकित्सा एवं शिक्षा विभाग के स्थानीय अधिकारियों को अविलम्ब भिजवाने का श्रम करें।

उक्त निर्देशों की पालना में संबंधित संस्थाओं को रियायती दर पर आवंटित भूमि का राज्य व समाज के हित में सही उपयोग सुनिश्चित करने, आवंटन की शर्तों की पालना करवाने एवं शर्तो की पालना नहीं किए जाने की स्थिति में सम्बन्धित संस्थान के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही आवश्यक रूप से किया जाना सुनिश्चित करें।

राज्यपाल की आज्ञा से,

—sd०—

(एन.एल. मीना)

शासन उप सचिव–तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, नगरीय शासन विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
7. अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. उप शासन सचिव प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग।
9. सचिव, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
10. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
11. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर पर समस्त स्थानीय निकायों को सूचित करावें।
12. सचिव, नगर सुधार न्यास.....(समस्त)
13. रक्षित पत्रावली।

17/11/2011

शासन उप सचिव–तृतीय